

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2025-26/ 82

भोपाल, दिनांक 08/10/2025

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (समस्त)
2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय :- भावान्तर भुगतान योजना के क्रियान्वयन में प्रचार-प्रसार/ मीडिया से संवाद रखने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना में दिनांक 03 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक किसानों के पंजीयन की कार्यवाही तथा दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से मंडियों में सोयाबीन की खरीदी पर भावान्तर देने की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

भावान्तर भुगतान योजना के व्यापक एवं सकारात्मक प्रचार-प्रसार हेतु संयुक्त संचालक/ मंडी सचिव नियमित रूप से प्रमुख घटनाओं की जानकारी जारी कर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करेंगे। इस हेतु जिले के जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से प्रेसनोट जारी कराये जायें। आवश्यकतानुसार प्रेस नोट जारी कर उसका पृष्ठांकन जिले के जनसंपर्क अधिकारी तथा संयुक्त संचालक/ नोडल मंडी के सचिव को भी किया जाये।


(अनुराग सिंह)

अपर प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2025-26/ 83

भोपाल, दिनांक 08/10/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।


अपर प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल